कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //

(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक/ 3014 /एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 03-05-2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2999 दिनांक 30 अप्रैल 2020 द्वारा जिला सिवनी में धारा 144 प्रभावशील है। भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी गाइड लाइन एवं आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 01.05.2020 एवं दिनांक 03-05-2020 को ही आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार मैं डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी एतद् द्वारा यह आदेशित करता हूँ कि –

1. विकासखण्ड मुख्यालय (सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, घंसौर, धनौरा, छपारा, कुरई) में प्रथम चरण में दुकानें - किराना, स्टेशनरी, मेडीकल, दूध डेयरी एवं जनरल स्टोर **प्रातः 11 बजे से शाम 05 बजे तक खुली** रहेंगी।
2. विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त शेष ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार की समस्त दुकानें (मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, स्वीमिंग पुल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, बार, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें छोडकर) **प्रातः 11 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी।** किंतु हाट बाजार पर प्रतिबंध रहेगा।
4. सब्जी, फल थोक मंडी प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक खुलेगीं तथा प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक फुटकर विक्रेता ठेले में घर-घर जाकर सब्जी, फल का विक्रय कर सकेगें। थोक मंडी में आमजन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
5. अन्तर्जिला (वर एवं वधु पक्ष दोनो जिला सिवनी के होने पर) शादी हेतु पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु विवाह की सूचना सम्बंधित थाने में देनी होगी, जिसकी प्रति वाहन पर चस्पा करना होगा। शादी हेतु वर पक्ष से 10 व वधु पक्ष से 10 इस प्रकार कुल 20 लोगों की अनुमति रहेगी।
6. विवाह हेतु सिवनी जिले से बाहर जाने पर जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना होगा। यह अनुमति केवल ग्रीन जोन के जिलों में ही प्रदान की जावेगी।
7. सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें।
8. जिले की सीमा में टैक्सी, ऑटो रिक्सा, सायकिल रिक्सा पर प्रतिबंध रहेगा, भविष्य में स्थिति को देखते हुए छूट दी जा सकेगी।
9. मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, स्वीमिंग पुल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, बार, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें बंद रहेगी।
10. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेगें।
11. सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक /धार्मिक समारोह/अन्य एकत्रीकरण प्रतिबंधित रहेगें।
12. सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों को आमजन के लिए बंद रहेगें। धार्मिक मण्डली/ एकत्रीकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।

13. अंतिम संस्कार के विषय में, 10 (दस) से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होगें।
14. सभी दुकानदार सुनिश्चित करें कि बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को सामग्री का विक्रय नहीं करें साथ ही ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी सुनिश्चित करें।
15. 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
16. दुकान पर एक समय में दुकानदार, स्टॉफ और ग्राहक को सम्मिलित करते हुए 5 व्यक्ति से अधिक एकत्र नहीं रहेगें।
17. समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं इंसीडेंट कमाण्डर बाजार क्षेत्र में दो गज की दूरी का पालन कराना सुनिश्चित करेगें।
18. समस्त अनुमति प्राप्त शासकीय निर्माण स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा साथ ही थर्मल स्कैनर, सेनेटाइजर, एवं हाथ धोने हेतु साबुन होना आवश्यक होगा, श्रमिकों का मुंह पर मास्क/रूमाल/गमछा पहनना अनिवार्य होगा।
19. जिलें के समस्त नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुहं पर मास्क/रूमाल/गमछा पहनना अनिवार्य होगा।
20. सार्वजनिक स्थलों पर थूंकना प्रतिबंधित रहेगा।
21. बाजार में यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो दुकानदार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं पर कार्यवाही की जावेगी।
22. सम्पूर्ण जिले में सायं 07 बजे से प्रात: 07 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा अत: इस अवधि में कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नही निकलेगें।
23. पूर्व से अनुमति प्राप्त दुकानें, प्रतिष्ठान पूर्ववत खुली रहेगी।

कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों का उल्लंघन कर रहा है, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा, आईपीसी के धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसकें तहत कार्यवाही की जाएगी।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे सम्बंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अत: यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा।

यह आदेश दिनांक 03/05/2020 को मेरी पदमुद्रा हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपरोक्त आदेश दिनांक 03-05-2020 की रात्रि 12 बजे से दिनांक 17-05-2020 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

(डॉ. राहुल हरिदास फटिंग)
जिला दण्डाधिकारी
सिवनी

पृ /क्रमांक. /3014-A/ एस.डब्ल्यू/ 2020 सिवनी, दिनांक 3 मई, 2020

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर ।
5. उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाडा।
6. पुलिस अधीक्षक सिवनी को सूचनार्थ। कृपया आदेश का अक्षरश: पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी ।
8. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारीरअपर कलेक्ट/, सिवनी ।
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी,जिला सिवनी की ओर पालनार्थ।
10. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, सिवनी।
11. समस्त एस ओ.डी.(पुलिस) जिला सिवनी ।
12. थाना प्रभारी, थाना आदेश का कडाई जिला सिवनी की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त .... से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।
13. उप संचालक, जन संपर्क सिवनी की ओर आदेश का प्रकाशन हे अग्रेषित ।
14. प्रभारी अधिकारी, कलेक्टोरेट, एन.आई.सी., सिवनी की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, सिवनी ।
16. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी ।
17. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, सिवनी ।
18. जिला परिवहन अधिकारी, सिवनी ।
19. जिला आपूर्ति अधिकारी, सिवनी ।
20. सम्बंधित समस्त अधिकारी ।

जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी